

प्रेस नोट

दिनांक 03.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लूट/छिनैती करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-132/25, धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों-01. लवकुश सिंह पुत्र संतोष सिंह नि0 खोजनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा, 02. मोहित मौर्या पुत्र काली चरन मौर्या नि0 खोजनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद लूट/छिनैती के मोबाइल व 02 अदद अन्य मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 03.05.2025 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि चौखाड़िया पुल से तुलसीमांझा जाने वाले चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान लूट/छिनैती करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. लवकुश सिंह पुत्र संतोष सिंह, 02. मोहित मौर्या पुत्र काली चरन मौर्या को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद लूट/छिनैती के मोबाइल व 02 अदद अन्य मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.05.2025 को सरकारी अस्पताल नवाबगंज के पास से थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मचरहा गोकुला के रहने वाले राधेश्याम सिंह पुत्र शोभाराम से मोबाइल छिनैती की घटना कारित की थी। जिसके सम्बन्ध में राधेश्याम सिंह की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तगण कुछ दिन पूर्व तरबगंज बाजार में 02 व्यक्तियों से मोबाइल छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. लवकुश सिंह पुत्र संतोष सिंह नि0 खोजनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मोहित मौर्या पुत्र काली चरन मौर्या नि0 खोजनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0-132/25, धारा 309(4), 317 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 03 अदद लूट/छिनैती के मोबाइल फोन।
02. 02 अदद अन्य मोबाइल फोन।
03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 विभव सिंह।
03. हे0का0 योगेन्द्रनाथ यादव।
04. का0 रामबीर यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।